रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012020-215337
CG-DL-E-11012020-215337

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2020/पौष 18, 1941
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2020/PAUSHA 18, 1941

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

सं .123

सं. ईपी-1(3)/2016.—भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 (37-1964) की धारा 45 में प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण एवं केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में दी गई संस्वीकृति के साथ, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) विनियम, 1971 के निम्नलिखित विनियमों को पुनः संशोधित करता है:

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :**

 i) इन विनियमों को भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 पढा जायेगा।

 ii) ये विनियम अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

2. **<u>परिभाषाएं :</u>**

इन विनियमों में शब्दों के अर्थ तथा परिभाषाएं एवं पदनाम उसी प्रकार होंगे जैसे कि भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 एंव भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) विनियम, 1971 में दिए गए हैं।

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) विनियम, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

3.1 भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) विनियम, 1971 के विनियम 5 (v) के प्रावधान में "प्रबन्ध"

3.2 परिशिष्ट -1, भाग -II, सामान्य प्रबन्धन काडर क्रम संख्या -15, कॉलम -7, स्टैनो ग्रेड - II की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है :

"स्नातक डिग्री के साथ 40 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट क्रमशः अंग्रेजी टाईपिंग एवं शार्टहैंड में।"

3.3 परिशिष्ट -I, भाग -IX, क्रम सं. 6, कॉलम – 7, कनिष्ठ अभियंता पद हेतु योग्यता एवं अनुभव में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है:

"सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, डिप्लोमा धारकों के मामले में एक वर्ष के कार्य का अनुभव।"

सीमा कक्कड़, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./400/19]

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किए गए ।)

क्र .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा॰ खा॰ नि॰ (कर्मचारीवृन्द) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018	04.04.2019
2.	भा॰ खा॰ नि॰ (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2019	07.05.2019
3.	भा॰ खा॰ नि॰ (कर्मचारीवृन्द) दूसरा संशोधन विनियम, 2019	030.92019.

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2020

NO.123

No. EP-1(3)/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Third Amendment) Regulations, 2019.

ii) These shall come into effect from the date of issue of the notification.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in these Regulations shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. The following amendments are made to the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971:-

3.1 In the proviso to Regulation 5(v) of Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971, the word *"Managing Director"* is replaced by *'Government of India'.*

3.2 In the Appendix-I, Part-II General Administration cadre at Sl. No. 15, Column 7, the qualifications and experience as required for the post of 'Steno Grade-II' is amended as follows:-

"Graduate degree with speed of 40 w.p.m & 80 w.p.m in English typing & shorthand respectively."

3.3 In the Appendix-I, Part-IX Engineering cadre at Sl. No. 6 Column 7, the qualifications and experience as required for the post 'Junior Engineer' is amended as follows:-

"Degree in Civil Engineering or Diploma in Civil Engineering with one year experience in case of diploma holders only."

SEEMA KAKAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./400/19]

Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India *vide* Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly *vide*:-

SL. No.	Title	Dated
1.	FCI (Staff) (4th Amendment) Regulations, 2018	04.04.2019
2.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2019	07.05.2019
3.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2019	03.09.2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.01.11 14:48:43 +05'30'